राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-243/2014/भीलवाडा

मैसर्स सोना प्रोसर्स इण्डिया लिमिटेड भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत-ए,भीलवाडा

..प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :.23.05.2017

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील उपायुक्त(अपील्स)वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगेक अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 5/वैट/13—14 में पारित निर्णय 20.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—भीलवाडा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/ 24 के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष 2011—12 के लिये पारित आदेश दिनांक 09.01.2013 के द्वारा चाहे गये रिफण्ड राशि रू. 49,00,862/— को अस्वीकार किया है, जिसे यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आलोच्य अवधि 01.04.2010 से 31.03. 2011 तक के प्रस्तुत रिटर्न में आई टी सी रू. 51,51,460/—का दावा किया गया था तथा वर्ष के अन्त में देय वेट रू. 1,83,978/— व सीए.सी. की राशि रू. 66,620/—का समायोजन मानते हुए रू. 49,00,862/—का रिफण्ड चाहा गया परन्तु निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में आई टी सी के दावे को शून्य बताकर अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार को कर दिया। उक्त आई टी सी दावे का अस्वीकार किये जाने विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रू. 49,00,862/—का रिफण्ड चाहा गया। अपीलीय अधिकारी ने उभय पक्षों की बहस पर विचार करने के पश्चात उक्त चाहे गये रिफण्ड को अस्वीकार करते हुए अपलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2013 पारित किया है,जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आई टी सी दावें को शून्य बताकर दावें को अस्वीकार करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया, है। उनका कथन है कि आलोच्य अविध

C

में उसके द्वारा टैक्सटाइल (ग्रे फेब्रिक्स) पर डाइज,प्रिन्टिंग व प्रसंस्करण का संविदा कार्य किया गया है और डाइज,प्रिन्टिंग व प्रसंस्करण के कार्य हेतू राज्य के अन्दर डाइज एवं केमिकल्स, पैकिंग सामग्री, आईल की कर योग्य खरीद पर कर का भुगतान किया गया है, जिसका लेखा निर्धारित प्रपत्र वैट-07 संधारित किया गया तथा रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया गया है। उनका कथन है कि अधिसूचना संख्या 12(28)एफडी/ टैक्स / 07-172 दिनांक 30.03.3007 के द्वारा डाइज,प्रिन्टिग व प्रसंस्करण के संविदा कार्य के आवर्त को कर मुक्त किया गया है तथा बाद में अधिसूचना संख्या 12(28)एफडी / टैक्स / 07-पीटी-35 172 दिनांक 02.08.2008 के द्वारा दिनांक 01.04. 2006 से 29.03.2007 तक की अवधि के लिए ऐसे आवर्त को कर मुक्त किया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा डाइज,प्रिन्टिग व प्रसंस्करण के संविदा कार्य का निर्माण कार्य नहीं मानकर संविदा कार्य माना गया है तथा पंजीकृत व्यवहारी के डाइज,प्रिन्टिग व प्रसंस्करण के संविदा कार्य के आवर्त पर कर मुक्ति की छूट का लाभ दिया गया है। उनका कथन है कि डाइज,प्रिन्टिंग व प्रसंस्करण का उपयोग से संविदा कार्य में किया है इसलिए उक्त कर योग्य खरीद पर अधिनियम की धारा 18(1)(जी) अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रयोजन में उपयोग हेतु की जाने के कारण ऐसी कर योग्य खरीद पर चुकायी गयी वैट राशि क ेलिए आई टी सी का लाभ नियमों के अनुसार देय है ।

उन्होंने तर्कों को आगे बढाते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने राज्य के अन्दर डाइज एवं केमिकल्स की कर योग्य खरीद का उपयोग डाइज,प्रिन्टिग व प्रसंस्करण के संविदा कार्य में किया है और ऐसी खरीद संविदा कार्य में निष्पादित होने में उपयोग में ली गई डाईज एवं केमिकल्स को अधिनियम की धारा 23 (35)(ii) के अन्तर्गत विक्य मानते हुए यह बिकी अधिनियम की धारा 18 (1)(ए) के तहत मानी जावेगी। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रस्तत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत व्यवसाईयों को राज्य में कर योग्य बिकी, अन्तर्राज्जीय बिकी एवं निर्यात की गई बिकी के सम्बन्ध में आई टी सी दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं,उन्हीं को ध्यान में रखते कर निर्धारण अधिकारी ने आई टी सी दावे को अस्वीकार किया है, जो पूर्ण रूप से उचित है । उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 2(41) में टर्नओवर की परिभाषा एवं अधिसूचना से स्पष्ट है कि टर्न ओवर का मतलब माल की बिकी से प्राप्ति राशि है यदि टर्नओवर कर मुक्त है इसका

तात्पर्य माल की बिकी पर कर आरोपणीय नहीं है अतः जब माल अर्थात् वस्तु ही कर मुक्त है तो टर्नओवर भी कर मक्त है अतः धारा 18 (ई) के प्रावधानानुसार कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की आई टी सी स्वीकार योग्य नहीं है केवल कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की आई टी सी स्वीकार योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का कारोबार प्रोसेसिंग का कार्य है और इस व्यापार में समस्त प्राप्तियां कर मुक्त है और अधिनियम के प्रावधानों, अधिसूचनाओं एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी के द्वारा खरीद किये गये प्रोसेसिंग कार्य में प्रयुक्त माल पर आई टी सी देय नहीं है। उनका कथन है कि इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा आई टी सी अस्वीकार की गई है, जो पूर्ण रूप से उचित है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड, अपीलीय अधिकारी के आदेश एवं अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया गया है कि अधिसूचना संख्या 12(28)एफडी / टैक्स / 07—172 दिनांक 30.03.3007 के द्वारा डाइज,प्रिन्टिग व प्रसंस्करण के संविदा कार्य के आवर्त को कर मुक्त किया गया है तथा बाद में अधिसूचना संख्या 12(28)एफडी / टैक्स / 07—पीटी—35 172 दिनांक 02.08.2008 के द्वारा दिनांक 01.04.2006 से 29.03. 2007 तक की अवधि के लिए ऐसे आवर्त को कर मुक्त किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा डाइज,प्रिन्टिग व प्रसंस्करण के संविदा कार्य का निर्माण कार्य नहीं मानकर संविदा कार्य माना गया है।

आई टी सी के बिन्दु पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व अधिनियम की धारा 18,जिसमें में आई टी सी का प्रावधान किया गया है, को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :--

18. Input Tax Credit. – (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub–section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material ,"except those as may be notified by the State Government," in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) "being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale" in the course of export outside the territory of India; or

- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.
- "(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases—
 - (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
 - (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
 - (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
 - (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
 - (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- (4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

उक्त धारा के पठन से स्पष्ट है कि उक्त धारा के अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत व्यवसाईयों को राज्य में कर योग्य बिकी, अन्तर्राज्जीय कर योग्य बिकी एवं निर्यात की गई बिकी के सम्बन्ध में आई टी सी दिये जाने प्रावधान किये गये, साथ ही कर मुक्त विकय पर आई टी सी नहीं दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।

अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि वर्क्स कान्ट्रेक्ट की टर्नओवर को अधिसूचना संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स/07पीटी—35 दिनांक 02.08.2008 के द्वारा कर मुक्त किया गया है तथा इस अधिसूचना में आई टी सी का लाभ नहीं दिये जाने की शर्त अंकित नहीं है इसलिए कर योग्य खरीद पर आई टी सी का लाभ 01.04.2006 से देय हो जाता है।

उक्त तर्क पर विचार करने से पूर्व "टर्नओवर" जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 2(41)किया गया है,को उद्धरित करना समीचीन होगा :--

2(41) "turnover" means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub-section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

उक्त धारा में दी गई टर्नओवर की परिभाषा से स्पष्ट है कि कर दायित्व माल (goods) की बिकी से जो समस्त राशि प्राप्त होती है या हो सकती है, उसी पर अवधारित होता है। इस प्रकार इस परिभाषा में माल (goods) की बिकी से प्राप्त राशि को ही टर्नओवर माना गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उसका टर्नओवर कर मुक्त है वास्तव में माल की बिकी से प्राप्त राशि ही टर्न ओवर की परिभाषा में आती है यदि टर्नओवर कर मुक्त है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस माल की बिकी भी कर मुक्त है।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बहस के दौरान अधिसूचना संख्या 12(28)एफडी/टैक्स/07-172 दिनांक 30.03.3007 का उल्लेख करते हुए डाइज,प्रिन्टिग व प्रसंस्करण के संविदा कार्य के आवर्त को कर मुक्त किया गया है, का कथनकिया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना को उद्धरित किया जाना समीचीन है:-

"in exercise of the power conferred by sub-section (3) of section of 8 of the Rajasthan value added tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from the payment of tax, the registered dealer, on his turnover of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a work contract relating to dyeing printing and processing of textile."

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(41) में टर्नओवर की दी गई परिभाषा एवं उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 30.07.2007 के अवलोकन से ज्ञात होता है टर्नओवर का मतलब माल की बिकीं से प्राप्त राशि है यदि टर्नओवर कर मुक्त है इसका तात्पर्य माल की बिकी पर कर आरोपणीय नहीं है। अतः जब माल अर्थात वस्तु ही कर मुक्त है तो टर्नओवर भी कर मुक्त है। इसलिए धारा 18 (ई) के प्रावधानों के अनुसर कर मुक्त मालके निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की आई टी सी स्वीकार योग्य नहीं है केवल कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की आई टी सी स्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते है क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्टान्त में ए सी शीट्स का निर्माण करके उसका विकय कर मुक्त विकय किया गया है इसलिए आई टी सी देय नहीं है।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिन तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला अपील सुनवाई के दौरान दिया है उन पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन

_6-अपील संख्या-243/2014/भीलवाडा

आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नजर नहीं आती है इसलिए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया । (मदल लाल मालवीय) सदस्य

(खेमराज) अध्यक्ष